(3)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली जिला सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र सं. 3/2020

1. प्यार सिंह पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर निवासी रधुवंटी तहसील बौली
2. रामलक्ष्मण पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी रधुवंटी तहसील बौली

.......प्रार्थीयान

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

...... अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र धारा 251 (क)रा.का.अधि.

उपस्थित– श्री राजेश कुमार कुर्मी एडवोकेट

आदेश

दिनांक 28.4.22

प्रार्थीयान की और से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दायर किया कि प्रार्थीयान ग्राम रधुवंटी तहसील बौली के रहने वाले काश्तकार पेशा हैं प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी ख.नं. 312,313,315,317,320,323,324 वाके ग्राम रधुवंटी हैं तथा 313,320 में चाह बना हुआ हैं। जहां हम प्रार्थीयान के मकानात बने हुऐ हैं जिनमें प्रार्थीयान निवास करते हैं। प्रार्थीयान के उक्त खेतो के उत्तरी तरफ ख.नं. 316 रकबा 0.27 है. भूमि गेरमुमकिन रास्ते के रू मे दर्ज हैं जो रास्ता पश्चिम से पूर्वी तरफ खेतो की और आ रहा हैं । वादीगण का ग्राम पश्चिम दिशा में हैं ख.नं. 245 तक राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया सीसीरोड आ रहा हैं ,ख.नं. 277 रकबा 0.16 है. भूमि राज्य सरकार के खाता संख्या 1 में बंजड के रूप में दर्ज हैं जो पूर्व से ख.नं.316 से ख.नं.245 को जोडता हैं । ग्राम से आने वाले सीसी रोड से ख.नं.316 के मध्य केवल ख.नं.277 रकबा 0.16 है. भूमि बंजड के रू मे दर्ज कर पडते रास्ते की भूमि हैं जिसको रास्ते के रूप में दर्ज कर

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

पडत रास्ते की भूमि बनाना जरूरी है जिसे अडोस पडोस मे आने वाले को लाभ मिलेगा। ख.नं.277 रकबा 0.16 है. मे से प्रार्थीगण एवं पूर्वी तरफ के सम्पूर्ण खातेदार अपने बैलगाडिया ट्रेक्टर मवेशी लेकर जाते हैं रास्ते के रूप मे प्रयोग कर रहे है लेकिन राजस्व रिकोर्ड मे रास्ता दर्ज नही है आस पास के खेत वाले इसमें थारा, ढांकरे, झाड लगाकर आये दिन रास्ता अवरूध्द कर देते है। जिससे मौके पर नुकजे अमन का अंदेशा बना रहता है। दिनांक 6.1.19 को प्रार्थीयान ने अप्रार्थी से निवेदन किया तो उन्होने रास्ता दर्ज करने से इंकार करने पर यह प्रार्थना पत्र दायर करना लाजिम आया। न्यायालय हाजा को प्रकरण का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार हांसिल है। अतः ख.नं.277 रकबा 0.16 हैक्टैयर भूमि बंजड में से रास्ते के रूप में दर्ज करवाने का आदेश फरमाया जावें।

बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बाद तामील उपस्थित नही होने पर उनके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

तहसीलदार बौली से मौका रिपोर्ट 9 बिन्दुओ की तलब की गई। जो उनके पत्रांक 2905 दिनांक 9.2.22 से प्राप्त हुयी।

बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीयान का कथन हैं कि प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी ख.नं. 312,313,315,317,320,323,324 वाके ग्राम रधुवंटी हैं तथा 313,320 में चाह बना हुआ हैं। जहां हम प्रार्थीयान के मकानात बने हुऐ हैं जिनमें प्रार्थीयान निवास करते हैं। प्रार्थीयान के उक्त खेतो के उत्तरी तरफ ख.नं.316 रकबा 0.27 है. भूमि गेरमुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज हैं जो रास्ता पश्चिम से पूर्वी तरफ खेतो की और आ रहा हैं । वादीगण का ग्राम पश्चिम दिशा में हैं ख.नं. 245 तक राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया सीसीरोड आ रहा हैं ,ख.नं. 277 रकबा 0.16 है. भूमि राज्य सरकार के खाता संख्या

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

(5)

1 में बंजड के रूप में दर्ज हैं जो पूर्व से ख.नं.316 से ख.नं.245 को जोडता हैं । ग्राम से आने वाले सीसी रोड से ख.नं.316 के मध्य केवल ख.नं.277 रकबा 0.16 है. भूमि बंजड के रूप मे दर्ज कर पडते रास्ते की भूमि हैं जिसको रास्ते के रूप में दर्ज कर पडत रास्ते की भूमि बनाना जरूरी हैं जिसे अडोस पडोस मे जाने वाले को लाभ मिलेगा। ख.नं.277 रकबा 0.16 है. मे से प्रार्थीगण एवं पूर्वी तरफ के सम्पूर्ण खातेदार अपने वैलगाडिया ट्रेक्टर मवेशी लेकर जाते हैं रास्ते के रूप में प्रयोग कर रहे हैं लेकिन राजस्व रिकोर्ड मे रास्ता दर्ज नहीं हैं आस पास के खेत वाले इसमें चारा, ढांकरे, झाड लगाकर आये दिन रास्ता अवरूघ्द कर देते हैं। जिससे मौके पर नुकजे अमन का अंदेशा बना रहता हैं।

तहसीलदार बोली के माध्यम से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि प्रार्थी के पास उक्त चाहे गये रास्ते के अतिरिक्म्त कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं जो निकटतम हैं प्रार्थीयान को उक्त रास्ते जरूरी एवं आवश्यक हैं तथा अब्दुल रहमान प्रकरण तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उक्त भूमि प्रतिबंधित नहीं हैं रहन नहीं हैं ना हीं किसी न्यायालय का कोई स्थगन हैं। प्रस्तावित भूमि ख.नं.277 रकबा 0.16 हैक्टैयर किस्म बंजड सिवायचक भूमि में से 4 मीटर चोडा व 60 मीटर लम्बाई में रास्ते की आवश्यकता हैं उक्त भूमि में से प्रार्थीयान व अन्य का आना जाना निरंतर जारी है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा बउनवानी प्रकरण देवाराम बनाम मंगूराम आर आर डी 2019 पेज 119 पर यह निर्देश दिये हैं कि लघुत्तम रास्ता उपलब्ध करवाना उक्त अधिनियम की धारा 251 ए के तहत विधिसंगत हैं। यदि प्रार्थीयान रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की नियमानुसार कीमत अदा कर दें। ताकि पब्लिक इसका इस्तेमाल कर सके।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

प्रार्थीयान के प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट एवं माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता हैं कि प्रार्थीयान को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए ख.नं.277 रकवा 0.16 हेक्टैयर किस्म बंजड सिवायचक भूमि मे से 4 मीटर चौडाई व 60 मीटर लम्वाई में रास्ते की आवश्यकता हैं जो उनके आवागमन के लिए अनिवार्य हैं। उक्त भूमि सिवायचक किस्म बंजड सरकारी भूमि हैं। जो जमावंदी से सिध्द हैं। तथा ख.नं. 316 रकबा 0.27 हैक्टैयर पहले से हीं गैर.मु.रास्ता दर्ज रिकोर्ड हैं । ऐसी सूरत में ख.नं. 245 में ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई सीसी रोड को जोडने के लिए ख.नं. 277 में उक्तानुसार प्रस्तावित रास्ता दिया जाना विधि संगत हैं। चूँकि प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि हैं इसके लिये राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप 6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(52)/राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के निर्देशानुसार राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) तहत ख. नं.277 रकबा 0.16 हैक्टैयर में से 4 मीटर चौडाई व 60 मीटर लम्बाई (कुल 240 वर्ग मीटर)में मुताबिक मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त प्रस्तावित नक्शे अनुसार वाके ग्राम रघुवंटी को समर्पित करते हुये राजस्व रिकोर्ड में सार्वजनिक गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । बशर्ते प्रार्थीयान उक्त आराजीयात में कुल 240 वर्ग मीटर भूमि को रकबा मे तब्दील कर डीएलसी दर से दुगनी राशि जो भी बनती हैं वह राज्य सरकार के मद 0029–00–105–01–00 – सरकारी सम्पदाओ की बिकी मद में जमा करादे ।

यह आदेश उक्तानुसार राशि जमा होने पर हीं प्रभावी होगा तथा उक्त रास्ता आमजन के आमदरफत के उपयोग में आवेगा, प्रार्थीयान व किसी व्यक्ति विशेष को उक्त रास्ते के संवंध में किसी तरह के विधिक अधिकार नहीं होगें। राशि

उप जिला कलक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

3. यह है कि प्रार्थीगण के खेत मे उत्तरी तरफ ख0न0 316 रकबा

(7)

जमा होने के बाद राजस्व नक्शा ग्राम रधुवंटी में प्रस्ताव अनुसार गै.मु.रास्ता दर्ज करते हुये जमाबंदी में अमल किया जावें।

आदेश आज दिनांक 28.4.22 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर उच्चारित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

उप जिला कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर